ANNEXURE-3

अनिल कुमार झा, एच.जे.एस.
जनपद न्यायाधीश,
बलरामपुर।

<u>विश्राम–कक्ष</u>
अर्द्धशासकीय पत्र संख्या : 159 /2024
दिनांकित : 23.01.2024

प्रिय श्री उपाध्याय,

प्रशासनिक आदेश क्रमांक 205/2023 दिनांक 20.05.2023 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रत्यावेदनों के समयबद्व निस्तारण हेतु समिति का गठन करते हुए आपको उक्त समिति में अध्यक्ष नामित किया गया था। मेरे संज्ञान में आया है कि समिति की बैठक समय–समय पर आयोजित नहीं हो रही है जिस कारण अधिकारीगण/कर्मचारीगण के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे काफी संख्या में लम्बित हैं। यह अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि अधिकारीगण/कर्मचारीगण के लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का यथाशीघ्र नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें ।

भवदीय

(अनिल कुमार झा)

श्री अभिनितम उपाध्याय,
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष
न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)
बलरामपुर।

Self attested
Abhinitam Upadhyay

प्रेषक,

अभिनितम उपाध्याय
अध्यक्ष, चिकित्सा प्रतिपूर्ति समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
बलरामपुर

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बलरामपुर।

विषय—श्रीमान जी द्वारा प्रेषित अर्धशासकीय पत्र संख्या 159/2024 दिनांकित 23.01.2024 के संदर्भ में सूचना।

महोदय,

सादर निवेदन है कि श्रीमान जी द्वारा प्रशासनिक आदेश क्रमांक 205/2023 दिनांकित 20.05.2023 से चिकित्सा प्रतिपूर्ति समिति का गठन करते हुए मुझे अध्यक्ष नामित किया गया। उक्त अर्धशासकीय पत्र संख्या 159/2024 दिनांकित 23.01.2024 में श्रीमान जी द्वारा वर्णित किया गया है कि उनके संज्ञान में यह आया है कि समिति की बैठक समय –समय पर नहीं हो रही है जिस कारण अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के चिकित्सीय प्रतिपूर्ति दावे काफी संख्या में लंबित हैं जो अत्यंत आपत्तिजनक है। तद्नुसार यह अपेक्षा की गई है कि लंबित दावों का निस्तारण यथाशीघ्र नियमानुसार किया जाए।

उक्त अर्धशासकीय पत्र मुझे दिनांक 24.01.2024 को प्राप्त हुआ जिसके आलोक में मेरे द्वारा लेखा लिपिक श्री राजीव जायसवाल से निम्न दो बिन्दुओं पर आख्या आहूत की गई ।

(I) दिनांक 20.05.2023 को कितने प्रकरण लंबित थे, दिनांक 31.12.2023 तक कितने नये प्रकरण आये, कितने प्रकरण निस्तारित हुए तथा दिनांक 31.12.2023 को कितने प्रकरण लंबित थे।

(II) चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामलों को निस्तारण हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने में क्यों विलंब हुआ।

लेखा लिपिक श्री राजीव जायसवाल द्वारा आख्या दिनांकित 30.01.2024 **(संलग्नक–1)** प्रेषित की गई जिसमें बिन्दु संख्या 1 के बारे में कहा गया कि दिनांक 20.05.2023 को चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित कुल 28 दावे लंबित थे जिसके बाद दिनांक 31.12.2023 तक कुल 12 दावे दाखिल हुए जबकि 9 दावे निस्तारित हुए है। इस प्रकार दिनांक 31.12.2023 को 31 दावे लंबित थे। बिन्दु संख्या 2 के बारे में लेखा लिपिक के द्वारा कथन किया गया कि लेखा लिपिक द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित दावों को तकनीकि परीक्षण हेतु समय–समय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां प्रेषित किया जाता है एवं जब समिति की बैठक आहूत

Self attested
Abhinitam upadhyay

Abhinitam upadhyay
02/02/2024

होती है तब चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि लेखा अनुभाग में कार्य की अधिकता है।

उक्त परिस्थितियों में कार्य की अधिकता के बावजूद भी समय –समय पर समिति की बैठक आहूत करते हुए 9 दावों का निस्तारण किया गया है तथा आगे भी समिति की बैठक आहूत कर दावों का निस्तारण किया जाएगा जिसमें प्राचीन दावों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सूचना श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक –02.02.2024

भवदीय,

Abhinitam upadhyay 02/02/2024

(अभिनितम उपाध्याय)
अध्यक्ष, चिकित्सा प्रतिपूर्ति समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
बलरामपुर

संलग्नकः– लेखा लिपिक द्वारा प्रस्तुत मूल आख्या।

Self attested
Abhinitam upadhyay

Recd
07/02/2024

संलग्नक-1

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,
चिकित्सा प्रतिप्रर्ति समिति
जनपद न्यायालय, बलरामपुर।

महोदय,

ससम्मान निवदेन है कि अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–159/2024 दिनांक 23.01.2024 पर माननीय महोदय के पृष्ठांकित आदेश दिनांक 24.01.2024 के द्वारा मांगी गयी आख्या के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है--

1. बिन्दु संख्या–1

Medical Reimbursement

Pending on 20.05.2023	28
Instituted	12
Disposed	9
Pending on 31.12.2023	31

2. बिन्दु संख्या–2 के सम्बन्ध में सादर निवेदन है प्रार्थी द्वारा श्रीमान जी आदेश से चिकित्सा प्रतिप्रर्ति दावों का रख–रखाव किया जाता है तथा श्रीमान जी के आदेश से उक्त दावों को तकनीकी परीक्षण हेतु समय–समय पर मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां प्रेषित किया जाता है एवं जब श्रीमान जी समिति की बैठक आहूत करते है तब मेरे द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हैं। माननीय महोदय को सादर अवगत कराना है कि लेखा अनुभाग में कार्य की अधिकता रही है

आख्या माननीय महोदय के अवलोनार्थ सादर प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर) 30.01.24
लेखा लिपिक
जजी–बलरामपुर

Self attested
Abhinistam upadhyay